



नई जलवदियुत नीति

चर्चा में क्यों?

नई जलवदियुत नीति के तहत सरकार ने बड़ी पनबजिली परियोजनाओं को 'अक्षय ऊर्जा की स्थिति' (Renewable Energy Status) प्रदान करने की मंजूरी दी है। इससे पहले 25 मेगावाट (MW) क्षमता से कम की केवल छोटी परियोजनाओं को ही अक्षय ऊर्जा के रूप में वर्गीकृत किया गया था। बड़ी पनबजिली परियोजनाओं को ऊर्जा के एक अलग स्रोत के रूप में माना जाता था।

अक्षय ऊर्जा क्षेत्र

- केंद्रीय वदियुत प्राधिकरण के आँकड़ों के अनुसार, भारत के अक्षय ऊर्जा क्षेत्र की स्थापित क्षमता फरवरी 2019 तक 75,055.92 मेगावाट की थी।
- इसमें कुल ऊर्जा मशिन का लगभग 21.4% हिस्सा शामिल था, बाकी हिस्सा थर्मल, परमाणु और बड़े हाइड्रो स्रोतों से प्राप्त हुआ।
- हालाँकि नवीकरणीय ऊर्जा में बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट को शामिल करने से ऊर्जा मशिन (Energy Mix) में काफी बदलाव आया।
- अक्षय ऊर्जा क्षमता अब कुल ऊर्जा मशिन की 1,20,455.14 मेगावाट या 34.4% होगी।
- यह नीति अक्षय ऊर्जा मशिन को भी काफी बदल देगी। फरवरी 2019 से पहले, पवन ऊर्जा ने सभी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लगभग 50% योगदान दिया, यह अब केवल 29.3% रह जाएगी।
- इसी तरह सौर ऊर्जा का हिस्सा 34.68% से घटकर 21.61% हो जाएगा।
- हालाँकि, हाइड्रो सेक्टर में इसकी हिस्सेदारी 6% से बढ़कर 41% से अधिक होने की संभावना है।

प्रभाव

- पनबजिली ऊर्जा ग्रिड स्थिरता प्रदान करती है, जबकि पवन और सौर जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के साथ ऐसा नहीं है। इसका मुख्य कारण ग्रिड स्थिरता और एक बेहतर ऊर्जा मशिन प्रदान करने हेतु माना जाता है।
- ऊष्मा में तेज़ वृद्धि और पनबजिली में पूर्ण ठहराव के कारण पछिले कुछ वर्षों से थर्मल-हाइड्रो मशिन में भारी असंतुलन है।
- इस पुनर्वर्गीकरण से तात्कालिक रूप से 2022 तक भारत को 175 GW के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
- नीति से एक और लाभ यह भी होगा कि सतलज जल विकास नगिम (SJVN) जैसे राज्य द्वारा संचालित पनबजिली कंपनियों के शेयर की कीमतों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
- इससे बड़ी जल वदियुत परियोजनाओं को सस्ता ऋण प्राप्त करने और स्वच्छ ऊर्जा के लिये वतिरण कंपनियों से मांग बढ़ाने में मदद मिलेगी।
- राज्य वतिरण कंपनियों को अक्षय ऊर्जा खरीद दायित्वों की तरह एक निश्चित प्रतशित जलवदियुत खरीदने के लिये बाध्य किया जाएगा। इससे हाइड्रोपावर के लिये एक बाज़ार तैयार होगा और यह क्षेत्र प्रतस्पर्धी बनेगा।
- इन परियोजनाओं को न केवल बुनियादी ढाँचे के लिये बजटीय समर्थन प्राप्त होगा बल्कि 'ग्रीन फाइनेंस' तक भी पहुँच बनाई जा सकेगी।

स्रोत : द हिंदू